न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री प्रमोद कुमार सिन्धव उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी

राजस्व लोक अदालत उपखण्ड प्रभार कनवास

निर्णय दिंनाक 12.06.2017

मिसल नंबर 42 / 16

बउनवान

1. चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना निवासी मदारिया तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :–

वादी स्वयं

प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट व 136 एल आर एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मदारिया की खसरा नंबर 47 / 15 आराजी 06.06.61 को एलोट हुई थी जिसमें वादी के पिता का का नाम चतरा पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना मदारिया दर्ज था इन्तकान 53 दिंनाक 10.05.2074 सलग्न है।

यह कि उक्त आराजी बाद में जमाबंदी में दर्ज करते समय सहवन से चतरा पिता का नाम ग्यारसीराम के स्थान पर गणेशराम दर्ज हो गया नकल सव्त 2034–37 सलग्न है।

यह कि उक्त आराजी को सेटमेंट बाद नये खसरा नंबर 88 की रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 89 की 1.04 है0, खसरा नंबर 90 की 1.04 है0, खसरा नंबर 91 की 0.01 है0, खसरा नबर 92 की 0.04 है0, खसरा नंबर 121 की 0.04 है0, कुल खसरा किता 06 की रकबा 2.43 है0, दर्ज किये जो भी पूर्ववत् की भांति चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना दर्ज किये , जिसकी नकल जमाबंदी सव्त 2071–74 सलंग्न है।

यह कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता का नाम ग्यारसीराम के स्थान पर गणेशराम दर्ज दर्ज हो गया जबकि रिकार्ड में चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना दर्ज होना चाहिए जिसके लिए यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है वादी को उक्त गलत नाम से ऋण वगैरा लेने में काफी कठिनाई आती है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व घोषणा की डिक्री पारित की जाकर ग्राम मदारिया कि खसरा नंबर 88 की रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 89 की रकबा 1.04 खसरा नंबर 90 की रकबा 1.04, खसरा नंबर 91 की 0. 01 है0, खसरा नंबर 92 की 0.04 है0, खसरा नंबर 121 की 0.04 है0, कुल 06 किता की 2.43 है0, आराजी का चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत की गई प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में नामा संख्या 53 दिंनाक 10.05.74 अनुसार चतरा पुत्र ग्यारसीराम नाम दर्ज था जो सहवन से वर्तमान रिकार्ड में चतरा पुत्र गणेशराम दर्ज है। अतः रिकार्ड अनुसार वर्तमान रिकार्ड में चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतरा पुत्र ग्यारसीराम दर्ज किया जाना उचित होगा। तथा आज मजेंम आम में जानकारी की गई चतरा नाम व्यक्ति को गांव में चतुर्भुज नाम से भी जाना जाता है, चतरा पुत्र ग्यारसीराम व चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम एक ही व्यक्ति है। अतः समस्त राजस्व रिकार्ड व मजेमआम में की गई जानकारी अनुसार वर्तमान खाते में चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम दर्ज किया जाना उचित होगा।

वादी द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में भैरूलाल का शपथ–पत्र रामकुंवर पुत्र गोपीदास का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने भी अवगत कराया कि चतरा चतरा नाम व्यक्ति को गांव में चतुर्भुज नाम से भी जाना जाता है, चतरा पुत्र ग्यारसीराम व चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम एक ही व्यक्ति है। अतः समस्त राजस्व रिकार्ड व मजेमआम में की गई जानकारी अनुसार वर्तमान खाते में चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम दर्ज किया जाना उचित होगा। वादी द्वारा भी भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड की प्रति, स्वयं का शपथ–पत्र, प्रस्तुत किया जिसमें भी उनका नाम चतुर्भुज अंकित होना बताया है।,

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, जवाब सरकार , एवं सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि चतरा पुत्र गणेशराम के जाकर ग्राम मदारिया कि खसरा नंबर 88 की रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 89 की रकबा 1.04 खसरा नंबर 90 की रकबा 1. 04, खसरा नंबर 91 की 0.01 है0, खसरा नंबर 92 की 0.04 है0, खसरा नंबर 121 की 0.04 है0, कुल 06 किता की 2.43 है0, आराजी का चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मदारिया की खसरा नंबर 88 की रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 89 की रकबा 1.04 खसरा नंबर 90 की रकबा 1.04 है0, खसरा नंबर 91 की 0.01 है0, खसरा नंबर 92 की 0.04 है0, खसरा नंबर 121 की 0.04 है0, कुल 06 किता की 2.43 है0, आराजी का चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास प्रमोद कुमार सिन्धव R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

राजस्व लोक अदालत

बउनवान

1. चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना निवासी मदारिया तहसील कनवास।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट व 136 एल आर एक्ट

मुकदमा नं 42/16 सन 2016 निर्णय दिनाक 12.06.2017 बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव आर ए एस उपखण्ड अधिकारी कनवास यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारि कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम मदारिया की खसरा नंबर 88 की रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 89 की रकबा 1.04 है0, खसरा नंबर 90 की रकबा 1.04 है0, खसरा नंबर 91 की 0.01 है0, खसरा नंबर 92 की 0.04 है0, खसरा नंबर 121 की 0.04 है0, कुल 06 किता की 2.43 है0, आराजी का चतरा पुत्र गणेशराम के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर चतरा पुत्र गणेशराम जाति मीना के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र ग्यारसीराम जाति मीना सा0देह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... (कोटा))

प्रमोद कुमार सिन्धव
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा '''' स्टाम्प वकालतनामा ''' स्टाम्प वजह सबूत '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक '''' मीजान ''''	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प अर्जी '''' महनताना वकील '''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा'''' मुतफर्रिक ''' मीजान ''''	------NIL------	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)